15-178 उपखण्ड अधिकारी लोक अदालत कैम्प कोर्ट बाला के समक्ष हुई पार्टी बनाम कैम्प कोर्ट में उपस्थित पार्टी बनाम के कैम्प कोर्ट में सुना गया। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। पार्टी का मूल वाद अधिकोषण से संबंधित होने के कारण पार्टी का पूर्ण रूप से आपसी निपटारा स्वीकार किया जाना न्यायोचित है। अतः पार्टी का पूर्ण रूप से आपसी निपटारा स्वीकार किया जाता है तथा मूल वाद का आदेश दिनांक 3-8-2009 मूल वाद के निस्तारण तक के लिए किया जाता है कि मौजा चैला का बाग बाला की वह दीवार है। स्थित भूमि ब.नं. 3173 से 3180 ब.नं. 3587 लगायत 3511 ब.नं. 3589 लगा. 3597, ब.नं. 3927, ब.नं. 4427, 4435, 4437 लगायत 4486 तक कि 42 कुल संख्या 9-40 है. भूमि के सम्बन्ध में यथा स्थिति बनाये रखें। प्रकरण फैसल शुमार होने नम्बर से रद्द हो तथा बाद तामील प्रस्तुत लेखे जाए। निर्णय कैम्प कोर्ट बाला के समक्ष आम में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

अनि. कलोड

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट दौसा

सहायक कलक्टर
दौसा